न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम समसुदीन

मुकदमा न. 08/19/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

27.02.2019	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी (1) समसुदीन पुत्र सुमेर खां (विक्रेता) निवासी हवेली का बास पीपरोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर (2) जाकर पुत्र इसे खान (मालिक) निवासी गाव रोजा का बास चाडाली जिला अलवर मैसर्स– खान स्वीट कार्नर, होटल लक्ष्मी परिसर मावलियों की ढ़ाणी बस स्टेण्ड एन.एच. 52 तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–1342 खाद्य पदार्थ स्वीट केक का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। विक्रेता द्वारा स्वीट केक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ll) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी संख्या (1) समसुदीन पुत्र सुमेर खां (विक्रेता) के 10,000/– रुपये व अप्रार्थी संख्या (2) जाकर पुत्र इसे खान (मालिक) के 25,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो निर्णय सुनाया गया। 27/2/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official